उत्तर प्रदेश शासन संख्या-29-2019/सा-3-789/दस-2019-301/2000टी0सी0

लखनऊ : दिनॉक 23 अक्टूबर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की स्वीकृति।

राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्य-13-2019/सा-3-261/ दस-2019-301/2000टी0सी0 दिनांक 26 मार्च, 2019 द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2019 से महंगाई रोहत की दर 09 प्रतिशत से बढकार 12 प्रतिशत की गयी थी।

2- अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति, 2016 की संस्तृतियों के अधीन निर्गत शासनीदेशों के प्रावधानों के अनुसार संशोधित/स्वीकृत पेंशन/ पारिवारिक पेंशन पर श्री राज्यपाल द्वारा दिनॉक 01 जुलाई, 2019 से महँगाई राहत की 05 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति

Government of Uttar Prodesh Finance (General / Section-3 No. 29 /2019/G-3- 789 /X-2019-301/2000

Dated: Lucknow: 23 october, 2019 Office: Memorandum

Subject: Grant of dearness relief to State Government's civil / family pensioners.

Vide government order No. 13/2019/Sa-3- 261/ X- 2019- 301 / 2000 T.C. dated March 26, 2019 the dearness relief admissible to pensioners/ family pensioners of the state was increased from 09 percent to 12 percent w.e.f. January 01, 2019.

2- The undersigned is directed to say that the Governor is pleased to grant one more instalment of dearness relief of 05 percent w.e.f. July 01, 2019 on the pension/ family pension revised/ determined under the provisions of the government orders issued under the recommendations of Uttar Pradesh Pay Committee, 2016.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है कताक्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइंट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रदान की गयी है।

पंशनरों को अनुमन्य महँगाई राहत में उपर्युक्त बढोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महँगाई राहत की दर 12 प्रतिशत से बढकर दिनॉक 01 जुलाई, 2019 से 17 प्रतिशत हो जायेगी।

महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा, जबिक आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।

के न्यायालय उच्च आदेश यह निकायों स्थानीय न्यायाधीशों, सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागी द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृथक से निर्गत किये जा रहे हैं।

यह आवेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुसन्य है, पर भी लागू होंगे।

शासन के कार्यालय-ज्ञाप, संख्या-ए-1-252/दस-10(3)-81,दिनॉक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखांकार

As a consequence of the abovementioned 05 percent rise, the dearness relief payable on the pension/family pension will rise from existing 12 percent to 17 percent with effect from July 01, 2019.

In the calculation of dearness relief, fraction of a rupee less than its half shall be ignored while half or more shall be counted as one rupee.

5- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, employees of local bodies and public undertakings / respect etc. corporations whom separate orders will be issued by respective departments. respect of All India Service pensioners / family pensioners are being issued.

6- These orders will also be applicable to the pensioners of the institutions aided from State Fund, under the Education/ Technical Education Departments, whose pension / family pension is at par with that of the pensioners of the State Government.

As per orders issued in O.M. No. A -1- 252 / X- 10 (3)- 81, dated April 27, 1982 the Accountant General's authority is not necessary for payment of relief pension and as such the payment of dearness relief shall be made by

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है कताक्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,नहीं है ।

And the second of the second

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सल्यापित की जा सकती है ।

(1)

के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अत: पंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महँगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा। concerned pension disbursing authorities on the basis of this office memorandum alone.

8- महँगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित है, पूर्ववत् लागू रहेंगे। 8- Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as before.

नील रतन कुमार विशेष सचिव, वित्त।

Neel Ratan Kumar Special Secretary, Finance.

सेवा में,

(1)-उत्तर प्रदेश शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, विभागाध्यक्ष, कोर्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारीगण।

(2)- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 व 2 एवं ऑडिट-1 व 2, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

- (3)-महालेखांकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (4)- समस्त राज्यों के महालेखाकार।

(1)-All Additional Chief Secretaries /
Principal Secretaries / Secretaries to
the Government of Uttar Pradesh,
Heads of Departments / Offices, all

Treasury Officers.

(2)-Accountant General (Account & Entitlement)-1,2 & Audit-1,2, Uttar Pradesh, Prayagraj.

- (3)-Office of Accountant General, Uttarakhand, Dehradun.
- (4)- Accountants General of all states.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है कताक्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।